



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 837) पटना, सोमवार, 10 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
10 सितम्बर 2018

एस० ओ० 235, दिनांक 10 सितम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं. एस. ओ. 169 दिनांक 21 सितम्बर 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 875 दिनांक 21 सितम्बर 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; यथा:-

2. उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“परंतु ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने अधिसूचना सं. एस.ओ. 221 दिनांक 06 अगस्त, 2018, जो बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 754 दिनांक 06 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।”।

3. यह अधिसूचना दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2622)]

आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

10 सितम्बर 2018

एस0ओ0 235 दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2622)]

आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 10th September 2018

S.O. 235, Date 10th September 2018— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification number S.O- 169 dated 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 875, dated the 21st September, 2017; namely:—

2. In the said notification, in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of notification No. S.O- 221 dated 6th August, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 754, dated the 6th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.”.

3. This notification shall come into force with effect from 10th September 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3)-2622)]

By order,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 837-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>